

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद

संख्या:अठारह-आशु0(वरि0)-2016/02

दिनांक:अप्रैल 13, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदन किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति के स्थान से उनके नाम के सम्मुख अंकित जोन/इकाई में तात्कालिक प्रभाव से समायोजित/ स्थानान्तरित करते हुए नवनियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	वर्तमान जनपद/इकाई	तैनाती जोन/इकाई	आवंटित जोन/इकाई	चयन का वर्ष
1	852310148	पवन कुमार	महावीर प्रसाद	एटा	बरेली	बरेली जोन	बरेली जोन	2016
2	870330027	दिवाकर पाण्डेय	दयानन्द पाण्डेय	गोरखपुर	32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ	लखनऊ जोन	लखनऊ जोन	2016
3	872900011	सुबोध कुमार	एच०सी० सक्सेना	मुरादाबाद	अलीगढ़ परिक्षेत्र	आगरा जोन	आगरा जोन	2016
4	871150024	तेज बहादुर सिंह राठौर	राजेन्द्र सिंह राठौर	फतेहगढ़	यातायात निदेशालय लखनऊ	गोरखपुर जोन	गोरखपुर जोन	2016
5	872250523	हेमराज कुशवाहा	मंगरू राम	इलाहाबाद	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, लखनऊ 30प्र०	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, लखनऊ 30प्र०	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, लखनऊ 30प्र०	2016
6	870027334	सोहन लाल कुशवाहा	मोती लाल	इलाहाबाद	विशेष जाँच मुख्यालय, लखनऊ	गोरखपुर जोन	गोरखपुर जोन	2016
7	871200093	देव नारायण सिंह	मोती लाल सिंह	इलाहाबाद	सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ	गोरखपुर जोन	गोरखपुर जोन	2016
8	871200123	अजय शुक्ला	ओम प्रकाश शुक्ल	लखनऊ	सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ	गोरखपुर जोन	गोरखपुर जोन	2016
9	872590180	अर्जुन कुमार	सूरजभान सिंह	कासगंज	मुरादाबाद	सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ	सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ	2016
10	882633671	मो० असलम खान	मो० मुस्लिम खान	सुलतानपुर	अमेठी	आईटेक्स प्रकोष्ठ/यू०पी०-100 लखनऊ	आईटेक्स प्रकोष्ठ/यू०पी०-100 लखनऊ	2016
11	872511967	महावीर सिंह	मुखरराम	बिजनौर	बागपत	मेरठ जोन	मेरठ जोन	2016
12	880810124	अरून बाला कंचन	रवि प्रकाश कंचन (पिता) एवं सच्चिदानन्द श्रीवास्तव (पति)	लखनऊ	भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ	गोरखपुर जोन	गोरखपुर जोन	2016

13	880790031	अरविन्द कुमार पाल	जुगुल किशोर पाल	एटा	अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग लखनऊ	आगरा जोन	2016
14	880790044	लाल चन्द	विश्वनाथ	गोरखपुर	अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग लखनऊ	गोरखपुर जोन	2016
15	882462789	मो० शुएब	अब्दुल लतीफ सिद्दीकी	बाराबंकी	आईटेक्स प्रकोष्ठ/यूपी-100 लखनऊ	गोरखपुर जोन	2016
16	880880844	उमेश कुमार	राम स्वरूप	मुरादाबाद	बरेली	बरेली जोन	2016
17	882140405	शिवलाल सिंह	खेम सिंह	मुरादाबाद	44वी पीएसी मेरठ	पीएसी	2016
18	880330017	धर्म प्रकाश	रामजस	सहारनपुर	पीएसी मुख्यालय लखनऊ	मेरठ जोन	2016
19	882610348	सुरेश चन्द्र	श्री नत्थू	फतेहपुर	विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर	वाराणसी जोन	2016
20	881040036	करन सिंह	श्री ठाकुर सिंह	मुरादाबाद	पीलीभीत	बरेली जोन	2016
21	892470035	हीरा लाल राव	श्री हेमराज	बहराइच	तकनीकी सेवाएं मुख्यालय लखनऊ	तकनीकी सेवाएं मुख्यालय लखनऊ	2016
22	890820421	फैयाज उमर अंसारी	मु० हसन अन्सारी	रायबरेली	अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ	अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ	2016

2. पदोन्नति पाये समस्त पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) अपने नवनियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) से संलग्न प्रारूप(क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

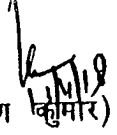
4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों के प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) के पदोन्नति के आदेश का

क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्या असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक-प्रारूप(क)


(प्रवीण कुमार)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उ०प्र० लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जाँच मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ०प्र० लखनऊ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, आईटेक्स प्रकोष्ठ/यू०पी०-100 मुख्यालय, लखनऊ।
9. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
10. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
11. अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली/लखनऊ/आगरा/गोरखपुर/मेरठ/वाराणसी जोन उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह प्रोन्नति प्राप्त पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) का रिक्ति कं सापेक्ष समायोजन करते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
12. परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, फैजाबाद, मेरठ, आगरा, देवपाटन, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर।
13. पुलिस महानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़/विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर/पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ/पुलिस अधीक्षक, विशेष जाँच मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ/पुलिस अधीक्षक, अधिष्ठान, सतर्कता अधिष्ठान, उ०प्र० लखनऊ/पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ०प्र० लखनऊ/पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, लखनऊ/पुलिस अधीक्षक, आईटेक्स प्रकोष्ठ/यू०पी०-100 मुख्यालय, लखनऊ/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद बरेली/मुरादाबाद/अमेठी/बागपत/आगरा /गोण्डा/पीलीभीत/सेनानायक, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ/44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कर्मियों को उनके नवनियुक्ति स्थान के लिए तत्काल कार्यमुक्त कर सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि:अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रारूप--"क"

स्वघोषणा-पत्र

मैं, _____ (नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र
_____ निवासी _____ स्थाना _____ जनपद _____ वर्तमान में
(जनपद/इकाई का नाम) _____ नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही दर्जना में निलम्बित हूँ।"

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया गया जाता है तो मेरे पदावली पर निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण -----

(2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई----- में विधिक कार्यवाही लम्बित है जिसमें दिनांक----- को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०----- द्वारा----- स्थाना----- जनपद----- में लम्बित है, जिसमें दिनांक----- को स्थानीय पुलिस अधीनस्थ एजेन्सी----- द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा वर्तमान में----- रस्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट दिया जाय।